



Neutral Citation No. - 2026:AHC:30003

उच्च न्यायालय इलाहाबाद

रिट - बी संख्या - 472 वर्ष 2026

सुभाष राम

.....याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश, प्रयागराज और 6 अन्य

.....प्रत्यर्थी(गण)

याचिकाकर्ता(गण) के अधिवक्ता : अमीश कुमार श्रीवास्तव, जितेन्द्र केशरवानी

प्रत्यर्थी(गण) के अधिवक्ता : सी.एस.सी.

न्यायालय संख्या - 55

माननीय न्यायमूर्ति चंद्र कुमार राय

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री अमीश कुमार श्रीवास्तव और राज्य-प्रत्यर्थीगण की ओर से विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री पंकज कुमार को सुना गया।

2. वर्तमान याचिका निम्नलिखित राहत के लिए दायर की गई है:

"क. परमादेश की प्रकृति में एक रिट, आदेश या निर्देश जारी किया जाए, जो प्रत्यर्थी संख्या 1 को पुनरीक्षण संख्या 2323 वर्ष 2025 सुभाष राम बनाम अनीता सिंह एवं अन्य, जो 23.05.2025 से लंबित है, में याचिकाकर्ता के स्थगन आवेदन को तय करने का निर्देश दे।

ख. परमादेश की प्रकृति में एक रिट, आदेश या निर्देश जारी किया जाए, जो निजी प्रत्यर्थीगण को प्रश्नगत भूमि पर कोई भी निर्माण करने से रोके।"

3. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने कहा कि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 24 के तहत याचिकाकर्ता की पहल पर शुरू की गई कार्यवाही को अवैध और मनमाने ढंग से खारिज कर दिया गया था। उन्होंने आगे तर्क दिया कि उप-जिलाधिकारी द्वारा मामला याचिकाकर्ता के अधिवक्ता की अनुपस्थिति में तय किया गया था। उन्होंने यह भी बताया कि राजस्व परिषद के समक्ष वर्ष 2025 में स्थगन आवेदन के साथ पुनरीक्षण दायर किया गया है, लेकिन राजस्व परिषद द्वारा कोई अंतरिम संरक्षण प्रदान नहीं किया गया है। उन्होंने प्रार्थना की कि राजस्व परिषद को एक समय सीमा के भीतर निगरानी में स्थगन आवेदन तय करने का निर्देश दिया जाए और पुनरीक्षण के लंबित रहने तक पक्षकारों को यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया जाए।

4. मामले के गुण-दोषों पर कोई राय व्यक्त किए बिना और तथ्यों तथा परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, प्रत्यर्थी संख्या 1/राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज को निर्देशित किया जाता है कि वे पुनरीक्षण संख्या 2323 वर्ष 2025 को कानून के अनुसार, पक्षकारों को सुनवाई का अवसर देते हुए शीघ्रता से, अधिमानतः इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करने की तिथि से दो महीने की अवधि के भीतर तय

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



करें। यह भी निर्देशित किया जाता है कि उक्त पुनरीक्षण में सभी लंबित आवेदनों का निस्तारण पुनरीक्षण निर्णीत करने से पहले कानून के अनुसार किया जाएगा।

5. तदनुसार, रिट याचिका अंतिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(माननीय न्यायमूर्ति चंद्र कुमार राय)

11 फरवरी, 2026

Translated version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"